न्यायालय उपजिलाधिकारी पुरवा जिला उन्नाव वाद सं० T202210690204876 धारा 80 U.P. संतोष कुमार आदि Vs उ0प्र0 सरकार बाबत नकल आदेश दि० 08.8.22 ग्राम पारा पर० मौरावां तह० पुरवा जिला उन्नाव की प्रमाणित छायाप्रति।

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :लखनऊ,जनपद :उन्नाव,तहसील :पुरवा
वाद संख्या :-4876/2022
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202210690204876
संतोष कुमार आदि वनाम सरकार उ0प्र0
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

अन्तर्गत धारा 80 उपधारा (2) उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006
ग्राम–पारा परगना मौरावां
तहसील पुरवा जिला उन्नाव।

निर्णय

प्रस्तुत वाद तहसीलदार पुरवा की आख्या दिनांक 28.07.2022 के आधार पर संस्थित किया गया। तहसीलदार पुरवा ने अपनी आख्या में उल्लेख किया है कि ग्राम पारा परगना मौरावां तहसील पुरवा जिला उन्नाव की खतौनी सन् 1424–1429फ0 के खाता सं0 01865 की गाटा सं0 873ख. रकबा 0.9490हे0 संतोष कुमार पुत्र आनंद मोहन नि0 पो0 परा0 मगरायर तहसील बीघापुर उन्नाव व प्रभाशंकर पुत्र फूलकृष्णा नि0 बनिगांव पो0 मौरावां के नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। वादीगण के द्वारा उक्त गाटा सं0 873ख. रकबा 0.9490हे0 भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रश्नगत भूमि में कृषि कार्य बागबानी पशुपालन जिसके अन्तर्गत कुक्कुट पालन व मत्स्य पालन का कार्य नहीं हो रहा है। प्रश्नगत भूमि गाटा सं0 873ख. रकबा 0.9490हे0 भूमि बाउन्ड्रीवाल से घिरी हुई है, आवेदक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर कहा गया है कि 04 वर्ष के अन्दर निर्माण कराकर व्यवसायिक कार्य करने लगेंगे। प्रस्तावित भूमि पुरवा मोहनलालगंज मार्ग के 300 मी0 के अंदर स्थित है। वादीगण द्वारा वाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र दाखिल किया गया है। तहसीलदार पुरवा द्वारा उक्त भूमि पर निर्माण से सार्वजनिक न्यूसेंस होने की संभावना व सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा व सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है का भी उल्लेख किया गया है। तहसीलदार पुरवा के द्वारा आख्या दिनांक 28.07.2022 के साथ स्थल की फोटो सहित आवश्यक प्रपत्रों के साथ उक्त भूमि को धारा–80 उ0प्र0रा0सं0 2006 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

मैने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों का विधिवत् अवलोकन व परिशीलन किया। तहसीलदार पुरवा की आख्यानुसार उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 80(2) के अन्तर्गत अपेक्षित विधिक शर्तें पूर्ण हो रही है। आवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित उद्घोषणा शुल्क मु0 42705–00 रू0 जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रति प्रस्तुत की गयी, तथा नियमानुसार न्याय शुल्क के रूप में मु0 42705–00रू0 स्टाम्प द्वारा अदा किया गया है, जो संलग्न पत्रावली है। ऐसी स्थिति में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

ग्राम पारा परगना मौरावां तहसील पुरवा जिला उन्नाव की वर्तमान खतौनी सन 1424–1429फ0 के खाता सं0 01865 की गाटा सं0 873ख. रकबा 0.9490हे0 संतोष कुमार पुत्र आनंद मोहन नि0 पो0 परा0 मगरायर तहसील बीघापुर उन्नाव व प्रभाशंकर पुत्र फूलकृष्णा नि0 बनिगांव पो0 मौरावां की भूमि को उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 80(2) के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किया जाता है। घोषणा के दिनांक से 05 वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तावित गैर कृषि संबंधी गतिविधि प्रारम्भ करने में विफल रहता है तो उपधारा(2) के अधीन जोत या उसके आंशिक भाग की घोषणा व्यपगत हो जायेगी। यह घोषणा केवल भू–राजस्व की दृष्टि से की जा रही है। अन्य अधिनियमों एवं मास्टर प्लान पर इसका प्रभाव नहीं होगा।

क्रमशः पेज 2 पर

Scanned with OKEN Scanner

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :लखनऊ,जनपद :उन्नाव,तहसील :पुरवा
वाद संख्या :-4876/2022
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202210690204876
संतोष कुमार आदि बनाम सरकार उ0प्र0
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

---

(2)

इस भूमि का प्रयोग भविष्य मे कृषि, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि से संबन्धित कार्य हेतु उपयोग किया जाता है तो धारा 82 उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 के तहत तहसीलदार आख्या प्रस्तुत करेंगे। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य एवं तथ्य कभी भी अविधिक एवं जाली पाये जाने पर आदेश स्वत: निरस्त माना जायेगा। आदेश की एक प्रति उप निबन्धक पुरवा तथा राजस्व अभिलेखो में अंकन हेतु एक प्रति तहसीलदार पुरवा को भेजी जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर) 18/8/22
(अजीत कुमार जायसवाल)
उप जिलाधिकारी पुरवा,
उन्नाव।

न्यायालय उप जिला अधिकारी पुरवा-उन्नाव

न्यायालय उप जिला अधिकारी

प्रार्थना पत्र का नम्बर
प्रार्थी का नाम श्री रामदेव शुक्ल क्लर्क
[illegible] गए शब्द छायाप्रति
हटे हुए शब्द छायाप्रति
प्रार्थना पत्र देने की दिनांक
नकल तैयार करने का दिनांक 18.08.22
मिसिल नम्बर 13/ 18.8.22
नकल जारी होने [illegible] दिनांक 18.8.22
[illegible] बनाने वाले के हस्ताक्षर (हस्ताक्षर)
[illegible] मुआयना कराने वाले के हस्ताक्षर

सत्य प्रतिलिपि
(हस्ताक्षर) 18.8.22
अहलमद/रीडर